# FAQ

**प्र0.1 क्या महापौर/अध्यक्षों के आरक्षण और पार्षदों तथा सदस्यों के आरक्षण का नियम एक ही है।**

उ0– जी नहीं, अलग–अलग नियम है।

**प्र0.2 महापौर के आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था कहां दिया गया है?**

उ0– उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959, की धारा 7 के अन्तर्गत दिया गया है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की जनसंख्या को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए उन्हें क्रमशः अनुसूचित जाति–महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति–महिला, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग–महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, तथा शेष अनारक्षित के चक्रीय अनुक्रम में आवंटित किया जाता है।

**प्र0.3 नगर पालिका व नगर पंचायत के अध्यक्ष के आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था कहां दिया गया है?**

उ0– उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916, की धारा 9क के अन्तर्गत दिया गया है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की जनसंख्या को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए उन्हें क्रमशः अनुसूचित जाति–महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति–महिला, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग–महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, तथा शेष अनारक्षित के चक्रीय अनुक्रम में आवंटित किया जाता है।

**प्र0.4 क्या जो पूर्ववर्ती निर्वाचन में किसी आरक्षण के वर्ग के अन्तर्गत आरक्षित रहे हैं उन्हें पश्चातवर्ती निर्वाचन में आरक्षित किया जा सकता है?**

उ0– जी नहीं, पश्चातवर्ती निर्वाचन में उस वर्ग का आरक्षण नहीं हो सकता है।

**प्र0.5 पार्षदों और सदस्यों के पदों के आरक्षण की क्या व्यवस्था है?**

उ0– (क) नगर निगमों में पार्षदों के निर्वाचन के लिए उ0प्र0 नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम 5 के अन्तर्गत किया जाता है।

(ख) नगर पालिकाओं में सदस्यों के निर्वाचन के लिए उ0प्र0 नगर पालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम 5 के अन्तर्गत किया जाता है।

**प्र0.6 पार्षदों एवं सदस्यों के आरक्षण की प्रक्रिया क्या है?**

उ0–पार्षदों एवं सदस्यों के पदों के आरक्षण नियम के अन्तर्गत सर्वप्रथम अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए अनुसूचित जाति–महिला तथा अनुसूचित जाति का आरक्षण पूर्ण करेंगे तत्पश्चात् इन आरक्षित निकायों को हटाते हुए अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए, अनुसूचित जनजाति–महिला तथा अनुसूचित जनजाति को आरक्षण पूर्ण करेगें तत्पश्चात् इन आरक्षित निकायों को हटाते हुए अन्य पिछड़े वर्ग की जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए, अन्य पिछड़ा वर्ग–महिला तथा इन आरक्षित निकायों को हटाते हुए, शेष के जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए महिला आरक्षण को पूर्ण किया जायेगा, शेष अनारक्षित होगा।